



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या: ए.ए.आई./विज/ आरटीआई /537/2026

1654

दिनांक : 20.08.2026

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपके द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन AAOIN/R/E/26/0126/2 दिनांक 10.08.2026 का संदर्भ लें। उपरोक्त आरटीआई आवेदन के माध्यम से सतर्कता विभाग से सम्बंधित मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | मांगी गई जानकारी                                                                                                                                                                | उपलब्ध जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Please provide me the information that on my superannuation dated 30-06-2026 as [REDACTED] payment of Gratuity and HPL are not released on a/c of VC and DC clearance.          | कथन<br>Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | Ground on which VC and DC are not cleared may please be informed.                                                                                                               | VC requests are processed in accordance with CHRM 06/2022 dated 23.05.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2       | Certified copies of Notings of CVO and Disciplinary cell along with the noting of competent authority not to release the above payments may please be provided at the earliest. | भाविप्रा के सतर्कता विभाग में ऐसी कोई रिकॉर्ड जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत, सिर्फ वही जानकारी दी जा सकती है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद हो या उसके कंट्रोल में हों। जन सूचना अधिकारी को ऐसी जानकारी नहीं बनानी चाहिए जो रिकॉर्ड का हिस्सा न हो। No such recorded information is available in Vigilance Department of AAI. Under the provisions of the RTI Act, 2005 only such information as is available and existing and held by the public authority or is under control of the public authority can be provided. The PIO is not supposed to create information that is not a part of the record. |

2. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तिथि से 30 दिन के भीतर श्री राजगुरु जैन, महाप्रबंधक(सतर्कता), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003 को अपील कर सकते हैं।

 भवदीय,  
(सचिन कुमार मिश्रा)  
20.08.2026

उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी